

File No. 45/2018

31 जनवरी, 2018

31 January 2018

नोटिस/NOTICE

यह पाया गया है कि कॉलेज से मिलने वाली होम टाउन / अखिल भारतीय एलटीसी का लाभ लेने के दौरान स्टाफ के सदस्यों (शिक्षण और गैर शिक्षण) निम्नलिखित का पालन नहीं करते हैं।

It has been noted that staff members (teaching and non-teaching) do not adhere to the following while availing Home Town/All India LTC facility from the College.

1. एलटीसी सुविधा का लाभ उठाने के लिए होम टाउन को स्थायी नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र में प्रस्तुत किए गए आवेदन के समान ही होना चाहिए, इसके अलावा नियम के अनुसार परिवर्तन के मामले में।
Home Town to visit to avail LTC should be same as given in application form submitted for Permanent Appointment, except in case of change thereafter, as per rule.
2. सम्मिलित होने की रिपोर्ट यात्रा के पूरा होने पर तुरंत जमा की जाएगी।
The Joining report be submitted on completion of journey immediately.
3. होम टाउन / अखिल भारतीय एलटीसी का लाभ लेने के लिए पूर्व सूचना आवश्यक है, जो कि असफल हो, दावा पर विचार नहीं किया जाएगा।
Prior intimation to avail LTC to Home Town/All India is must, failing which, the LTC claim shall not be entertained.
4. एलटीसी सुविधा का लाभ उठाने के लिए पति / पत्नी के कार्यालय से प्रमाणपत्र प्राप्त किया जाना चाहिए, यदि वह एक सरकारी कर्मचारी है।
Certificate from the office of spouse must be obtained to avail LTC facility for her/him from the College, in case, she /he is a Govt. employee.
5. पति / पत्नी और दो जीवित बच्चों के अलावा अन्य निर्भर सदस्यों को नियम के अनुसार सेवा रिकॉर्ड में घोषित किया जाना चाहिए।
Dependent(s), ~~except~~ spouse and two surviving children should have been declared already in the service record, as per rule, to avail LTC facility for them.

I. S. Bakshi
(Dr. I. S. Bakshi)
Principal

Copy to: 1) Notice Board Staff Room
2) Office Notice Board
3) College Website